न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/74/2017

उनवान

1. नारायण सिंह आत्मज केसरी सिंह राजपुत निवासी बागड तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. रूप सिंह आत्मज मोहन सिंह राजपुत मृतक के बजाय:—
   1/1 भैरू सिंह आत्मज रूप सिंह राजपूत
   1/2 रतन सिंह आत्मज रूप सिंह राजपूत
   1/3 छगन कंवर बेवा रूप सिंह राजपूत निवासी बागड तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. ढक्कन सिंह आत्मज अभयसिंह राजपुत निवासी बागड
3. शंभु सिंह आत्मज धन सिंह राजपुत
4. गोवर्धन सिंह आत्मज धनसिंह राजपुत निवासी बागड तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. गोपाल सिंह आत्मज माधव सिंह राजपुत
6. भगवत सिंह आत्मज गोवर्धन सिंह राजपुत
7. स्वरूप सिंह आत्मज गोवर्धन सिंह राजपुत
8. सुखकंवर पत्नि गोवर्धन सिंह राजपुत निवासी बागड तहसीी रायपुर जिला भीलवाडा
9. मु0 प्रेमकंवर बेवा भैरू सिंह राजपुत निवासी बागड मृतक के बजाय :—
   9/1 सुमेर सिंह मुतबन्ना भैरू सिंह राजपुत निवासी बागड तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10. लैण्ड होल्डर, जरिये , तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के
प्रकरण संख्या 3/2013 निर्णय दिनांक 12.7.2016
अधिवक्तागण :–

1. श्री पर्वत सिंह चुण्डावत , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री एस एन सोमाणी,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 8.5.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 /प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि आराजियात ग्राम बागड तहसील रायपुर में आराजी संख्या 744 रकबा 0.33 हे0, आराजी नम्बर 745 रकबा 0.33 हे0, आराजी नम्बर 746 रकबा 0.05 हे0, आराजी नम्बर 749 रकबा 0.42 हे0, आराजी नम्बर 748 रबा 0.05 हे0, गैर मुमकिन आराजी चाह अन्य आराजियात के साथ स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजियात पारिवारिक विभाजन से प्रार्थीगण के कब्जे में होकर उस पर प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात में प्रार्थीगण के आवागमन का रास्ता ग्राम टूंगच जाने वाले रास्ते पर स्थित विपक्षीगण की आराजी संख्या 759 रकबा 0.25 हे0 की पाली पर होते हुए आराजी संख्या 743 रकबा 0.48 हे0 की पाली पर होते हुए आराजी संख्या 738 रकबा 0.21 हे0, में प्रवेश होकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 744, 745, 746, 749 व 748 में जाता है तथा प्रार्थीगण वर्षो से इसी रास्ते से अपनी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजियात में संज बैल, ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। पूर्व में प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजियात व चाह में आवागमन करने में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं था तथा प्रार्थीगण के रास्ते को नक्शा ट्रेश में डोटेड लाईन से भी दर्शा रखा है। विपक्षीगण के मध्य में पारिवारिक विभाजन 1984 में हो चुका है तथा विपक्षीगण विभाजन के अनुसार अलग–अलग काबिज है। आराजी संख्या 759 विपक्षी संख्या 1 नारायण सिंह के हिस्से में आई हुई है तथा प्रार्थीगण आराजी संख्या 759 में विद्यमान रास्ते का ही उपयोग करके अपनी कृषि आराजियात व चाह में प्रवेश करते हैं। प्रार्थीगण को दिनांक 11.12.2012 को विपक्षी संख्या 1 द्वारा आराजी संख्या 759 में विद्यमान रास्ते में प्रवेश करने से रोक दिया है, जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजियात में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तथा प्रार्थीगण अपने खेतों मे फसल काश्त नहीं कर पायेंगे। विपक्षीगण की आराजी नम्बर 759, 743, 738 में विद्यमान रास्ते में जितनी जमीन विपक्षीगण की जाती है उतनी भूमि की कीमत डी एल सी दर से अदा करने को तैयार है। अतः विपक्षीगण की आराजी नम्बर 759, 743, 738 में विद्यमान रास्ते को स्थाई रूप से रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपीलार्थी को तत्समय जानकारी नहीं हो पाई थी। क्योंकि पूर्व में पीठासीन अधिकारी महोदय न्यायालय में नही बैठ रहे थे एवं तारीख पेशी बदली जा रही थी। दिनांक 2.3.2017 को प्रातः प्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 से चार ने मौके पर जाकर पत्थरों की दिवार को ढसाना चाहा तो अपीलार्थी ने रोका तो कहा कि हमारे पक्ष में तो कोर्ट का आदेश है। तब अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु नकल आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर नकल दिनांक 10.3.2017 को प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी की आराजी संख्या 759, 743 व 738 में किसी प्रकार का रास्ता कभी नहीं रहा है न ही कभी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 4 कभी भी आवागमन ही करते थे क्योंकि अपीलाण्ट की उक्त आराजी के चारों तरफ वर्षो पुरानी पत्थरों की चारदिवारी है तथा प्रार्थीगण की आराजी से अपीलाण्ट की उक्त आराजियात काफी ऊंचाई पर स्थित है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का रास्ता होना बिल्कुल गलत है। अपीलाधीन मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट चाही गई थी परन्तु रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा नहीं बनाई गई है अपितु पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो खारिज योग्य है।

6. प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण उनके खेतों में वर्षो से ग्राम बागड से ग्राम टूंगच जाने वाले रास्ते की आराजी संख्या 661, आगे 662 से होकर आगे आराजी नम्बर 761 रास्ता में से होकर उत्तरी तरफ से होकर आराजी संख्या 756 की पूर्वी पाली पर होकर आगे आराजी संख्या 757 की पश्चिमी पाली पर होकर आगे अपीलाण्ट की संयुक्त खातेदारी की ही आराजी संख्या 751 की पश्चिमी पाली पर होकर प्रार्थीगण प्रवेश करते आ रहे है तथा वर्तमान में भी इसी रास्ते से संज, बैल, बैलगाडी, पैदल आवागमन करते चले आ रहे हैं। पटवारी हल्का ने इस बाबत कोई जांच नहीं की। प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में आने–जाने का रास्ता होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विपक्षीया प्रेमकंवर बेवा भैरू सिंह राजपुत की मृत्यु दिनांक 11.4.2014 को ही हो चुकी है उसके बावजूद उसकी कायम मुकाम वारिसानों को रेकार्ड पर लेने बाबत कोई कार्यवाही प्रार्थीगण द्वारा नहीं की गई और मृतक के विरूद्ध भी आदेश पारित कर दिया गया है । जबकि मृतक पक्षकार के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रार्थीगण ने उनकी आराजी संख्या 744 रकबा 0.33 हे0 भूमि में जाने हेतु रास्ता मांगा , जबकि प्रार्थीगण के अलावा मांगु सिंह आत्मज भूर सिंह, व चंन्द्रकंवर बेवा भुर सिंह, व रोडी पुत्री भुर सिंह राजपूत सभी सहखातेदार है और उनके द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । ऐसी स्थिति

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

में पक्षकारों के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं था। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया। जो खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रार्थीगण ने आराजी नम्बर 756 में रास्ता बाबत काई दाद नहीं चाही है उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश में आराजी संख्या 750 रकबा 0.25 हे0 में से 0.0135 हे0 रास्ता देने का आदेश पारित किया है यानि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 759 में रास्ता मांगते हैं। । पटवारी रिपोर्ट आराजी संख्या 756 की आती है व आदेश आराजी संख्या 750 में रज्ञस्ता बाबत दियिा जाता है जो अपने आपमें में विरोधाभासी हैं।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील नहीं करवाई है एवं अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा सुनवाई करके अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राजस्व लोक अदालत कैम्प में मात्र वे ही प्रकरण निस्तारित होते हैं जिसमें दोनों पक्ष राजीनामा करके प्रकरण को फैसल करवाते है। अपीलाधीन प्रकरण में प्रार्थीगण को सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिससे अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

12. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

चाही गई। जिस पर तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण की आराजियात में आने–जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने एवं आत्यंतिक आवश्यकता होने से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

13. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है। वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

14. अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थीगण ने अपनी आराजी संख्या 744, 745, 746, 749 व 748 में आने जो के लिए आवागमन का रास्ता ग्राम टूंगच जाने वाले रास्ते पर स्थित विपक्षीगण की आराजी संख्या 759 रकबा 0.25 हे0 की पाली पर होते हुए आराजी संख्या 743 रकबा 0.48 हे0 की पाली पर होते हुए आराजी संख्या 738 रकबा 0.21 हे0, में प्रवेश होकर बताया है। प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का कथन था कि उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है ।

15. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नोटिस जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 24.5.2013 को जारी किये गये हैं एवं प्रकरण मे तारीख पेशी दिनांक 12.6.2013 दर्शायी गई है। उक्त नोटिस की विपक्षीगण पर प्रोपर तामील हुई है। तामील होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी।

16. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई । जिस पर कार्यवाहक तहसीलदार (नायब तहसीलदार) द्वारा मौका पर्चा तैयार किया गया । जिसके अनुसार '' मौके पर आराजी नम्बर 744 रकबा 0.33 हे0 भूमि खातेदार मांगू सिंह पिता भूर सिंह , चन्द्रकंवर, बेवा भूर सिंह, 1/3, रूप सिंह पिता मोहन सिंह, 1/3, राजपपूत के नाम दर्ज है। इस भूमि में आने जाने का रास्ता गांव में से आ रहे रास्ते से आगे आराजी नम्बर 759 रकबा 0.25 हे0, में होकर 743 व 738 में होकर जाता था। '' मौके पर आराजी नम्बर 759 रकबा 0.25 हे0 के सहखातेदार नारायण सिह आत्मज केसर सिंह राजपुत द्वारा पत्थर की दिवार (कोट) लगाकर बंद कर दिया है । अन्य सहखातेदारान द्वारा बंद करना नहीं पाया गया । नारायण सिंह जी को बुलाने पर नहीं आये। '' नायब तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में पटवारी हल्का की रिपोर्ट जांच से सही होना अंकित किया है।

17. पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट दिनांक 20.1.2012 को तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भी आराजी नम्बर 759 के सह खातेदार नारायण सिह द्वारा रास्ता पत्थर की दिवार बनाकर बन्द कर देना बताया है जबकि अन्य सहखातेदारान रास्ता खोले जाने में सहमत होना बताया है।

18. न्यायालय हाजा में अपील मात्र अपीलार्थी द्वारा ही प्रस्तुत की गई है। जबकि आराजी नम्बर 759 के अन्य खातेदारान द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलार्थी को मौका पर्चा बनाते समय नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर बुलाया गया जिस पर उसके द्वारा आने से भी मना किया गया है। अपीलार्थी को चाहिये था कि यदि उसे कोई आपत्ति थी तो उसे मौके पर मौका पर्चा बनाते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

समय अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिये थी। जिससे आपत्ति का निस्तारण किया जा सकता था।

19. अपीलार्थी का कथन कि अपीलार्थी की आराजी में कभी भी रास्ता नहीं रहा है। जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एव नायब तहसीलदार की मौका पर्चा रिपोर्ट से रास्ते को अवरूद्ध कर पत्थर की कोट (दिवार) अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा बनाया जाना स्पष्ट है।

20. अपीलार्थी का कथन है कि राजस्व लोक अदालत में मात्र उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष सहमत हो। इस बाबत कैम्प हेतु जारी नोटिस का भी अवलोकन किया गया । अहकाम दिनांक 12.7.2016 से स्पष्ट नहीं है कि दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हुआ हो, परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई थी। फिर भी अपीलाण्ट को कैम्प कोर्ट लोक अदालत में नोटिस तामील होना पत्रावली से प्रकट होता है। ऐसे में अपीलाण्ट का उपरोक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है । अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाना रिकार्ड से साबित होता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन मामले में अपीलाण्ट बाद सूचना भी अनुपस्थित रहने से प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार , अटल सेवा केन्द्र बागड में मेरिट पर किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.7.2016 का अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस के आलोक में अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी की विस्तृत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, सबूतों व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी आराजी नम्बर 556, 543, 738 में सहखातेदार के रूप में दर्ज है तथा अन्य

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सहखातेदारान को रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना भी प्रथमदृष्टया प्रकट है। खसरा नम्बर 759 व 743 में डोटेड लाईन से पूर्व में रास्ता प्रदर्शित है तथा समरी इन्क्वायरी के दौरान अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होना भी प्रकट नहीं है। मात्र किसी एक सहखातेदार के कब्जे के आधार पर आपत्ति दर्ज कराने से आवश्यक रास्ता दिये जाने बाबत जारी निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलाण्ट को अपना पक्ष रखने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिया गया है, तथा समरी इन्क्वायरी भी की गई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहूॅचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

21. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.7.2016 को यथावत रखा जाता है।

22. निर्णय आज दिनांक 8.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

8/5/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा